

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018


// आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक 01-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 1647 दिनांक 09.10.2018 द्वारा डॉ० रश्मि वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल को दिनांक 08/10/2018 से 07/12/2018 तक (यू0एस0ए0) विदेश यात्रा की अनुमति/स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई थी।

डॉ० रश्मि वर्मा द्वारा दिनांक 30.11.2018 को प्रेषित पत्र में पारिवारिक कारण से दिनांक 08.12.2018 से तीन सप्ताह तक विदेश में रहने की अनुमति प्रदान करने का लेख किया है।

अतः उक्त प्रकरण में विचारोपरान्त डॉ० रश्मि वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल को दिनांक 08.12.2018 से तीन सप्ताह तक विदेश में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

  
(विवेक श्रोत्रिय)

अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 1648 1997 भोपाल, दिनांक 08/12/2018  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल म०प्र०।
02. सहायक संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल।
03. डॉ० रश्मि वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत, भोपाल की ओर पालनार्थ।
04. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

  
27/12/18  
अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 /

भोपाल, दिनांक / / 2018


// आदेश //

डॉ० श्रीकृष्णा सुरोटिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला सिवनी को दिनांक 24/12/2018 से 01/01/2019 तक थाईलैण्ड विदेश यात्रा की अनुमति/स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विदेश यात्रा के दौरान विदेश में कोई पदभार ग्रहण नहीं किया जावेगा, न ही कोई साक्षात्कार आदि में भाग लिया जायेगा।
2. विदेश में कोई प्रायवेट प्रेक्टिस आदि नहीं की जावेगी।
3. विदेश यात्रा पूर्णतः स्वयं के व्यय पर की जावेगी।
4. विदेश यात्रा पर जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से यात्रा अवधि का अवकाश स्वीकृत कराना होगा।

उपरोक्त के संबंध में समस्त प्रकार के शासकीय नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित-

  
(विवेक श्रोत्रिय)


अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश

पृ०क० / 1-जी / विज्ञप्त / सेल-2 / 2018 / 1988

भोपाल, दिनांक 31/12/2018

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर, म०प्र०।
02. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था/विज्ञ/2018/8211 दिनांक 20.11.2018 के संदर्भ में।
03. डॉ० श्रीकृष्णा सुरोटिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला सिवनी की ओर पालनार्थ।
04. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।

  
अपर संचालक(प्रशासन)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश